सिविल विविध।

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष

रघुवीर लाल सहगल, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, आदि- *उत्तरदाता।*

1970 का सी. डब्ल्यू. नं. 109

21 अगस्त, 1970।

पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच) सेवा शर्तें (1939) - नियम 7 - पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (सिविल)- रेगुलेशन *(1965)*- विनियम *1 (3)* और 15 - *1939 के नियमों के तहत सहायक इंजीनियरों की नियुक्तियां - नियुक्ति की शर्तें जो पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगी। पाठ्यक्रम - नियुक्ति के लंबे समय बाद तैयार किए गए विनियम - ऐसे नियुक्त इंजीनियरों की वरिष्ठता - चाहे नियमों या विनियमों के तहत तय किया जाए।*

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब सहायक अभियंताओं की नियुक्ति पंजाब इंजीनियर सेवा (विद्युत शाखा) सेवा शर्तें नियम, 1939 के अंतर्गत की जाती है और नियुक्ति की शर्तों में से एक शर्त यह निर्धारित करती है कि नियुक्ति इन नियमों द्वारा शासित होगी और इस संबंध में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा नियत समय पर नियुक्त इंजीनियरों की वरिष्ठता 1939 के नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी, न कि इसके लंबे समय बाद बनाए गए विनियमों द्वारा। नियुक्ति। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (सिविल) रेगुलेशन, 1965 के रेगुलेशन 1(3) के परंतुक की भाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे नियुक्त इंजीनियर वरिष्ठता के संबंध में 1939 के नियमों के नियम 7 द्वारा शासित होते रहेंगे और इस विषय से संबंधित विनियमों के विनियम 15 उन पर लागू नहीं होंगे क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा। नियुक्ति की शर्तें केवल उन पर भावी प्रभाव से विनियम लागू करती हैं, न कि उनकी नियुक्ति की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से।

(पैरा 9)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि *प्रतिवादी संख्या* 23 दिसंबर, *1969 द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए एक रिट ऑफ* मैंडमस *या सर्टिओररी या कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए।* 1 *जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था और उसे कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को फिर से तय करने का निर्देश दिया गया था।*

आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता यू.एस. साहनी, वकील के साथ, याचिकाकर्ता के लिए।

जे.एन. कौशल महान्यायविद अशोक भान एडवोकेट के साथ प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से

बी एस जवांडा अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 2 के लिए , (कृपाल सिंह, एडवोकेट, उनके साथ)।

जे.एल. गुप्ता, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के लिए।

निर्णय

बी आर। तुली, न्यायमूर्ति.- यह निर्णय 1970 के C.Ws संख्या 109, *रघुवीर लाल सहगल बनाम रघुवीर लाल सहगल* का *निपटारा करेगा।हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और अन्य; और* 1970 का 1269 ^ *जोगिंदर सैन चोटानी और एक अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और अन्य*, जैसा कि इन दोनों याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं।

(2) तथ्य सामान्य हैं और मैं उन्हें 1970 के सीडब्ल्यू 109 के संबंध में बताता हूं। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने 1 दिसंबर, 1963 को "ट्रिब्यून" में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा 350 रुपये के शुरुआती वेतन के साथ 250-25-550/25-750 रुपये के वेतनमान में सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

पदों की संख्या 15 (इलेक्ट्रिकल), 6 (मैकेनिकल) और 6 (सिवि आई एल) थी। सहायक अभियंता (मैकेनिकल) और सहायक अभियंता (सिविल) के लिए आवश्यक योग्यताएं समान थीं, अर्थात, उम्मीदवारों के पास किसी भी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से B.Sc डिग्री (ऑनर्स), या प्रथम श्रेणी या उच्चतर द्वितीय श्रेणी होनी चाहिए और उन्हें कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कार्यों या किसी डिजाइन कार्यालय में उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम एक वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की एसोसिएट सदस्यता परीक्षा के भाग 'ए' और 'बी' उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों द्वारा बिजली बोर्ड को एक अभ्यावेदन दिया गया था कि उन्हें सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय (सिविइल) के रूप में नियुक्ति के लिए भी पात्र बनाया जाना चाहिए। इसके बाद विज्ञापन में एक संशोधन प्रकाशित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय (सिविल) के पद के लिए आवश्यक वैकल्पिक योग्यताएं थीं-

> सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियर (इंडिया) की एसोसिएट सदस्यता परीक्षा के खंड 'ए' और 'बी' उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार भी सहायक अभियंता श्रेणी द्वितीय (सिविल) के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, बशर्ते उनके पास ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले तीन साल का व्यावहारिक क्षेत्र अनुभव हो। बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में क्षेत्र में प्रशिक्षण/अनुभव प्रदान किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

(3) संशोधित विज्ञापन के जवाब में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के उत्तरदाताओं 3 और 4 सहित कुछ कर्मचारियों ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने पहले ही अपना आवेदन भेज दिया था। बोर्ड की चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया और उनमें से सात का चयन किया गया, जिनके नाम निम्नानुसार हैं:-

श्री जे एस छोट्टानी (उत्तरदाता 3)।
श्री पी सी शर्मा।
श्री एच. आर. मुखेजा (उत्तरदाता 4)।
श्री आर एल सहगल (याचिकाकर्ता)
श्री रोशन लाल विज।
श्री हरि शरण पालसोई।
श्री सतीश मोहन अग्रवाल।

इन सात में से, केवल पहले चार सेवा में शामिल हुए। याचिकाकर्ता को 7 मई, 1964 को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया था, और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उन्हें 3 जुलाई, 1964 के एक आदेश द्वारा 300 रुपये प्रति माह के शुरुआती वेतन के साथ 250-25-550/25-750 रुपये के स्केल में कार्यवाहक सहायक अभियंता द्वितीय (सिविल) के रूप में तैनात किया गया था। यह नियुक्ति एक नए सृजित पद के खिलाफ की गई थी और याचिकाकर्ता को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी भी मामले में 13 जुलाई, 1964 के बाद नहीं। नियुक्ति की पेशकश की एक प्रति अनुलग्नक 'ए' है और 3 जुलाई, 1964 के आदेश की प्रति 1970 के अनुलग्नक 'बी' ^ सीडब्ल्यू 109 है। 24 अक्टूबर, 1964 के आदेश द्वारा, उत्तरदाताओं 3 एएनए 4 को प्रगति पर सिविल कार्यों पर दो महीने के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इस आदेश में, उनकी वर्तमान पोस्टिंग को उनके स्वयं के वेतनमान में कार्यवाहक एसडीओ (गैर-राजपत्रित) (सिविल) के रूप में उल्लिखित किया गया है और प्रस्तावित पोस्टिंग का उल्लेख एसडीओ सिविल वर्क्स सब-डिवीजन से जुड़े सर्कल ड्राफ्ट्समैन (200/355 रुपये) के अपने स्वयं के वेतनमान में "कार्यवाहक एसडीओ" (गैर-राजपत्रित) के रूप में किया गया है। ये प्रस्तावित पोस्टिंग प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए थीं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रतिवादी 3 को 2 जनवरी, 1965 से 250/750 रुपये के पैमाने पर कार्यवाहक सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय (सिविल)

के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि प्रतिवादी 4 को 15 जनवरी, 1965 से 250/750 रुपये के पैमाने पर कार्यवाहक सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके एक अन्य सहयोगी, श्री प्रकाश चंद शर्मा को 6 जनवरी, 1965 से 250/750 रुपये के वेतनमान में कार्यवाहक सहायक अभियंता द्वितीय (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया था, जैसा कि 7 अप्रैल, 1965 के कार्यालय आदेश की प्रति से स्पष्ट है, जो 1970 के सीडब्ल्यू 109 के अनुलग्नक 'डी' है। इन अधिकारियों में से प्रत्येक के नाम के आगे यह उल्लेख किया गया है कि "पहले से ही कब्जा किए गए पद के खिलाफ >हाय"। अनुपत्र घ में निम्नलिखित आशय का एक नोट दिया गया है -

> ए.ई. द्वितीय श्रेणी (सिविल) के रूप में पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी उसी वरिष्ठता के हकदार होंगे जो पहले से ही पियरिट सूची में सौंपे गए हैं।

वर्ष 1964-65 की प्रशासन रिपोर्ट में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 और 4 के साथ श्री पीसी शर्मा की वरिष्ठता को उसी क्रम में दिखाया गया था जिस क्रम में चयन समिति ने उनका चयन किया था। उस वरिष्ठता के निर्धारण के खिलाफ याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे 28 दिसंबर, 1966 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को 1 मई, 1967 से तत्कालीन पंजाब राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भंग कर दिया गया था और हरियाणा और पंजाब राज्यों के लिए नए राज्य बिजली बोर्डों का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 और 4 को हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया था, जबकि श्री पीसी शर्मा और श्री सीएस रंधावा, अन्य लोगों के साथ पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को आवंटित किए गए थे। श्री रंधावा ने नए राज्य विद्युत बोर्ड के सचिव को श्री पीसी शर्मा से जूनियर रखे जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया, यद्यपि उनकी नियुक्ति श्री शर्मा से पहले की गई थी। इस अभ्यावेदन को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया और श्री रंधावा को श्री पीसी शर्मा से वरिष्ठ बना दिया गया। शर्मा ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका (1968 की सीडब्ल्यू संख्या 1749) दायर करके उस आदेश को चुनौती दी, जिसे मैंने 12 मई, 1969 को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि श्री पीसी शर्मा को श्री रंधावा के अभ्यावेदन के खिलाफ सुनवाई नहीं दी गई थी। मैंने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को निर्देश दिया कि वह उस याचिका के पक्षकारों को सुनने के बाद उनकी वरिष्ठता के मामले पर फिर से फैसला करे। याचिकाकर्ता ने खुद को उस रिट याचिका में इस आधार पर शामिल किया कि उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए उसी नियम की व्याख्या उसके मामले में शामिल थी। याचिकाकर्ता ने 4 मार्च, 1968 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को एक अभ्यावेदन भी दिया, जिस पर 24 दिसंबर, 1969 तक निर्णय नहीं लिया गया था। याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सचिव ने 24 दिसंबर, 1969 को मेमो द्वारा सूचित किया था कि "उन्हें पहले से सौंपे गए वरिष्ठता पद के पुनर्निर्धारण के लिए उनके अभ्यावेदन को गलत माना गया था, क्योंकि यह स्वीकृति के लिए व्यवहार्य नहीं था। याचिकाकर्ता ने 15 जनवरी, 1970 को इस न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका दायर की। प्रतिवाद करने के लिए प्रतिवादी 3 और 4 ने हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और याचिकाकर्ता श्री आरएल सहगल के खिलाफ 1970 की सीडब्ल्यू 1269 याचिका दायर की, जिसमें शिकायत की गई कि उन्हें मेरिट सूची के आधार पर श्री सहगल से पहले बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए था, और उन्हें श्री सहगल की नियुक्ति की तारीख से सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी 13 जुलाई 1964।

(4) 1970 के सीडब्ल्यू नंबर 109 में प्रतिवादियों की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि श्री सहगल की रिट याचिका देर से आई है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस आपत्ति के समर्थन में, यह

प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के खिलाफ उनके अभ्यावेदन को 28 दिसंबर, 1966 को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से जवाब यह है कि समग्र पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को 1 मई, 1967 से भंग कर दिया गया था, और पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए नए बोर्ड ोें का गठन किया गया था। इसलिए, वह समग्र पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के खिलाफ कानून की अदालत में कोई कार्यवाही दायर नहीं कर सके और कानून की अदालत का सहारा लेने से पहले, उन्होंने 4 मार्च, 1968 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को एक अभ्यावेदन देना उचित समझा, ताकि वह मामले को अदालत में ले जाने से पहले उस पर विचार कर सके। उस अभ्यावेदन को दिसम्बर, 1969 में अस्वीकार कर दिया गया और इसके तुरंत बाद उन्होंने इस न्यायालय में याचिका दायर की। स्पष्टीकरण प्रशंसनीय है और मैं इसे देरी के आधार पर खारिज करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता।

(5) इस मामले में विचार किया जाने वाला मुख्य बिंदु यह है कि पार्टियों पर क्या नियम लागू होते हैं और नियुक्ति की तारीख का क्या अर्थ है। यह पार्टियों का स्वीकार किया गया मामला है कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (सिविल) विनियम, 1965 (इसके बाद विनियम कहा जाता है) के प्रवर्तन से पहले, जो 1 अक्टूबर, 1965 से लागू हुआ था, लागू नियम पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (बिजली शाखा) (सेवा की शर्तें) नियम 1939 (इसके बाद 1939 नियम कहा जाता है) थे। याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी 3 और 4 को विनियम लागू होने से बहुत पहले 1939 के नियमों के तहत कार्यवाहक सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 और 4 की वरिष्ठता 1939 के नियमों के अनुसार तय की जानी थी। संबंधित नियम नियम 7 है, जो निम्नानुसार है: —

> (7) (1) नियम 7-क में उपबंधित को छोड़कर- सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:-
>
> (1) उच्च वेतनमान पर नियुक्त सदस्य निचले वेतनमान पर नियुक्त सदस्यों से वरिष्ठ होंगे।
>
> (2) वेतन के समान पैमाने पर पदों पर नियुक्त सदस्यों के मामले में वरिष्ठता का निर्धारण पहली बार में, उस तारीख से किया जाएगा जिस दिन वे उस वेतनमान में अपने पदों पर शामिल हुए थे, बशर्ते: —
>
> (1) कि यदि दो या दो से अधिक सदस्यों को पदों पर नियुक्त किया जाता है उसी तारीख को, पुराने सदस्य पर विचार किया जाएगा दूसरे से वरिष्ठ, जब तक कि सेवा में युवा सदस्य की पहली बार पुष्टि नहीं की गई है, इस स्थिति में छोटे सदस्य को पुराने से वरिष्ठ माना जाएगा, और
>
> (2) यह कि सेवा गठित होने से पहले जल-विद्युत शाखा में राजपत्रित पदों पर रहने वालों के मामले में वेतनमान में वरिष्ठता का निर्धारण उस तारीख से किया जाएगा जिस दिन उन्होंने जल-विद्युत शाखा में समान या उच्चतर नियुक्तियों में कार्यभार ग्रहण किया था, बशर्ते कि वह सेवा उस तारीख से निरंतर रही हो।
>
> (2) उच्च वेतनमान पर पदों पर पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि चयन के आधार पर की जाएगी।

(7) उप-नियम (1) यू के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उस तारीख के अनुसार किया जाना था जिस दिन प्रत्येक सदस्य ने समान वेतनमान में अपने पद को शामिल किया था। याचिकाकर्ता ने 13 जुलाई 1970 को 250/750 रुपये के वेतनमान में कार्यवाहक सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय के रूप में अपने पद पर कार्यभार

ग्रहण किया, जबकि प्रतिवादी 3 और 4 ने क्रमशः 2 जनवरी, 1965 और 15 जनवरी, 1965 से उस पद को उस वेतनमान में शामिल किया। ये तीनों सहायक इंजीनियर के रूप में सीधी भर्ती थे और इसलिए, 1939 के नियमों के नियम 7 के अनुसार उनकी वरिष्ठता तय करने के बजाय उनके पद ग्रहण करने की तारीख के अनुसार वरिष्ठता का क्रम तय किया जाना था, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने विनियमों के नियम 15 के तहत इन अधिकारियों की वरिष्ठता तय की। चयन समिति द्वारा उनके लिए निर्धारित योग्यता क्रम के आधार पर। बोर्ड की इस कार्रवाई को प्रतिवादियों द्वारा इस आधार पर उचित ठहराया गया है कि नियुक्ति की पेशकश में शर्त 14 (याचिकाकर्ता को जारी) ने उस पर विनियम लागू किए और उसके अनुसार निर्धारित वरिष्ठता क्रम में थी। शर्त 14 निम्नानुसार है -

"नियुक्ति की इस पेशकश में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए अन्य सभी मामलों में, वाईपीयू वर्तमान में पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (विद्युत शाखा) (भर्ती और एसईएफ की शर्तों) में निहित नियमों द्वारा शासित होगा। नियम, 1939, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है राज्य बिजली बोर्ड द्वारा और इस संबंध में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा।

(8) इस शर्त के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है कि विनियम, जब लागू किए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता पर लागू हो जाते हैं और उनकी वरिष्ठता को विनियमों के अनुसार तय किया जाना था। मुझे खेद है कि मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हूं। सेवा की इस शर्त ^ में यह निश्चित रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता 1939 के नियमों द्वारा शासित था जब उसे नियुक्त किया गया था और वह समय-समय पर संशोधित उन नियमों और भविष्य में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार किए जा सकने वाले विनियमों द्वारा शासित होगा। इसका मतलब यह नहीं था कि विनियम उनकी नियुक्ति की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से उन पर लागू किए जाएंगे। ये विनियम 1 अक्टूबर, 1965 को लागू हुए, और विनियमन 1 (3) में कहा गया है कि वे विनियम "सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे। तथापि, इस उप-विनियम का एक परंतुक है, जो काफी महत्वपूर्ण है और विनियमों के निर्माताओं के दिमाग को यह संकेत देता है कि क्या वे पूर्वव्यापी थे या केवल प्रचालन में भावी थे। परंतुक निम्नानुसार है:-

"बशर्ते कि जहां इनमें से कोई भी विनियम ऐसे किसी सदस्य के नुकसान के लिए भिन्न होता है, तो इन विनियमों के लागू होने की तारीख से ठीक पहले उस पर लागू सेवा की शर्तें लागू होती हैं। ऐसे सदस्य के संबंध में उस तारीख से ठीक पहले

> उसकी सेवा की शर्तें, जिस हद तक इनमें से कोई भी नियम उसके नुकसान के लिए है, उस पर लागू होती रहेगी।

(9) इस परंतुक की भाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता वरिष्ठता के संबंध में 1939 के नियमों के नियम 7 और उस नियम से संबंधित विनियमन 15 द्वारा शासित होता रहा और उस नियम से संबंधित नियम 15 उस पर लागू नहीं होता क्योंकि यह उसके नुकसान के लिए था। याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश वाले पत्र में शर्त 14 केवल उन पर भावी प्रभाव से लागू करती है यदि वे अन्यथा उस पर लागू होते हैं। इस मामले में विनियमन 1 (3) ने स्वयं विनियम 15 को उनके लिए अप्रयोज्य बना दिया क्योंकि यह उनके नुकसान के लिए था और याचिकाकर्ता इस प्रकार अपनी वरिष्ठता के संबंध में 1939 के नियमों के नियम 7 द्वारा शासित होता रहा। इसलिए, मैं मानता हूं कि याचिकाकर्ता 1939 के नियमों के नियम 7 द्वारा वरिष्ठता के मामले में शासित होना जारी रहा और विनियम 15 उनके मामले पर लागू नहीं हुआ। इसलिए, उत्तरदाताओं 3 और 4 को विनियमों के विनियम 15 के आधार पर वरिष्ठता के मामले में उन पर वरीयता नहीं दी जा सकती है। उनकी वरिष्ठता 1939 के नियमों के नियम 7 के अनुसार निर्धारित की जानी थी।

(10) 1939 के नियमों के नियम 7iके निर्णय के आलोक में, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि

क्या उस नियम के तहत प्रतिवादी 3 और 4 को याचिकाकर्ता पर वरीयता मिल सकती है। 1939 के नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं था कि चयन समिति को एक मेरिट सूची तैयार करनी थी और नियुक्तियां सख्ती से उसी क्रम में की जानी थीं जिसमें नाम उस मेरिट सूची में रखे गए थे। इसलिए, यह बिजली बोर्ड के लिए खुला था कि वह अपनी पसंद के किसी भी क्रम में उस सूची से नियुक्तियां कर सकता है। मामले के तथ्यों से, मुझे यह भी विश्वास है कि बिजली बोर्ड ने चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयनित उम्मीदवारों की सूची को कभी भी मेरिट सूची के रूप में नहीं माना। यदि उसने ऐसा किया होता तो नियुक्तियां उसी क्रम में की जाती, जिस क्रम में चयन समिति द्वारा नामों का उल्लेख किया गया था। यह याद रखना होगा कि उम्मीदवारों का साक्षात्कार 9 अप्रैल, 1964 को आयोजित किया गया था, और चयनित उम्मीदवारों की सूची 7 मई, 1964 से पहले बोर्ड को भेजी जानी चाहिए, जिस तारीख को नियुक्ति का प्रस्ताव याचिकाकर्ता को भेजा गया था। याचिकाकर्ता ने वास्तव में 3 जुलाई, 1964 के पोस्टिंग आदेश के अनुसरण में 13 जुलाई, 1964 को अपना पद ग्रहण किया था। इस अवधि के दौरान उत्तरदाताओं 3 और 4 के लिए निर्धारित दो महीने का प्रशिक्षण उन्हें दिया जा सकता था यदि नियुक्ति उस सूची के अनुसार की जानी थी। इसके विपरीत, जबकि याचिकाकर्ता को 7 मई, 1964 को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, प्रतिवादी 3 और 4 को ऐसा कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया गया था। वे पहले से ही बिजली बोर्ड की सेवा में थे और [1] 29 अक्टूबर, 1964 को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने तक अपने पदों पर बने रहे, जिसे उन्होंने नियत समय में पूरा किया और उस प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद उन्हें 2 जनवरी, 1965 और 15 जनवरी से कार्यवाहक सहायक इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किया गया। क्रमशः 1905। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चयन समिति से तथाकथित मेरिट सूची प्राप्त होने के तुरंत बाद प्रतिवादी 3 और 4 को प्रशिक्षण के लिए क्यों नहीं भेजा जा सका। यह तथ्य निर्णायक रूप से साबित करता है कि चयन समिति द्वारा प्रदान की गई सूची को कभी भी योग्यता सूची के रूप में नहीं माना गया था और न ही उस सूची में उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करना आवश्यक समझा गया था। टी [1] वहकार्यालय में डीलिंग सहायक, जिसने 1966 में याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर नोट लिखा था, ने विनियमन 1939 नियमों के परंतुक पर विचार किए बिना केवल विनियमों के प्रकाश में अपनी राय दी और चयन समिति द्वारा प्रदान की गई चयनित उम्मीदवारों की सूची को योग्यता सूची करार दिया, जिसका उल्लेख नियम 15 में किया गया है। इसके बाद प्रतिवादी 3 और 4 की ओर से कहा गया है कि 7 अप्रैल, 1965 को जारी किए गए कार्यवाहक सहायक अभियंताओं के रूप में उनके पोस्टिंग आदेशों में एक नोट था कि वे उसी वरिष्ठता के हकदार होंगे जो उन्हें पहले से ही मेरिट सूची में सौंपा गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त आदेश पर यह नोट किस नियम के आधार पर बनाया गया था। जब विनियम लागू नहीं थे और 1939 के नियम लागू होते थे। संभवतः उस समय तक विनियमों का मसौदा तैयार किया गया था और नोट को मसौदा विनियमन 15 के आधार पर रखा गया था। यह नोट 1939 के नियमों के नियम 7 के अनुसार उचित नहीं था, जो 1 अक्टूबर, 1965 से पहले पार्टियों पर लागू होता था, जिस तारीख को विनियम लागू हुए थे। यह नोट, अनधिकृत होने के नाते क्योंकि इसे किसी भी वैधानिक नियम पर समर्थित नहीं किया जा सकता है, प्रतिवादी 3 और 4 को याचिकाकर्ता से ऊपर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देता है।

(11) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं मानता हूं कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 और 4 की वरिष्ठता 1939 के नियमों के नियम 7 के अनुसार तय की जानी चाहिए और विनियमन 15 के अनुसार नहीं। विनियम। उस नियम के अनुसार, वरिष्ठता का निर्धारण उस तारीख से किया जाना है जिस दिन याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 और 4 ने कार्यवाहक सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय के वेतन के समान पैमाने पर अपने पदों को शामिल किया था और उस आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी 3 और 4 से ऊपर वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(12) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की ओर से दाखिल लिखित बयान में कहा गया है-

"अंक आवंटित करने वाली चयन समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखा था कि सर्वश्री जेएस चोटानी और एचआर मुखेजा पहले से ही सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी के पदों के खिलाफ काम कर रहे थे और चयन समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में उनके अनुभव को ध्यान में रखा गया था।

(13) 24 अक्टूबर, 1964 और 7 अप्रैल, 1965 के कार्यालय आदेशों के आलोक में, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के 'सी' और 'डी' हैं* लिखित बयान में यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी 3 और 4 पहले सहायक अभियंता वर्ग द्वितीय के पदों के खिलाफ काम कर रहे थे, शायद किसी गलतफहमी के तहत दिया गया गलत बयान प्रतीत होता है। उत्तरदाता 3 और 4 सर्किल ड्राफ्ट्समैन के अपने स्वयं के वेतनमान में 200/355 रुपये के वेतनमान में कार्यवाहक एसडीओ (गैर-राजपत्रित) (सिविल) के पदों पर थे, साथ ही 30 रुपये विशेष वेतन के रूप में थे, जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनका पदनाम "सर्किल ड्राफ्ट्समैन के अपने स्वयं के वेतनमान में एसडीओ (गैर-राजपत्रित) था और वे विभिन्न उप-डिवीजनों से जुड़े थे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कार्यवाहक एसडीओ (अराजपत्रित) (सिविल) के पद से 250/750 रुपये के पैमाने पर कार्यवाहक सहायक अभियंता द्वितीय (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया, जो वे प्रशिक्षण अवधि के दौरान धारण कर रहे थे। यदि उत्तरदाता 3 और 4 चयन समिति द्वारा उनके चयन से पहले सहायक अभियंता के पद पर थे, तो उन्हें सीधी भर्ती के रूप में विज्ञापन के जवाब में उस पद के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही बिजली बोर्ड को उन्हें आगे प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता थी। इन तथ्यों के आलोक में, मेरे लिए लिखित वक्तव्य में इस कथन को स्वीकार करना संभव नहीं है।

(14) 1970 के सी.डब्ल्यू. 1269 में, एथेटीयाचिकाकर्ता श्री श्रीजोगिंदर एस चोटानी और श्री एच. आर. मुखीजा, जो 1970 के सीडब्ल्यू 109 के उत्तरदाता 3 और 4 हैं, और उनके द्वारा दावा की गई राहत यह है कि उन्हें 13 जुलाई, 1964 से कार्यवाहक सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिस तारीख को श्री सहगल को नियुक्त किया गया था। इस दावे का आधार यह है कि मेरिट सूची में उन्हें श्री सहगल से ऊपर रखा गया था और उनकी नियुक्तियां उसी क्रम में की जानी चाहिए थीं। मैं पहले ही ऊपर कह चुका हूं कि जुलाई, 1964 में पार्टियों को 1939 के नियमों द्वारा शासित किया गया था, जिसमें उस सूची में चयनित उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख किए जाने के क्रम के अनुसार मेरिट सूची बनाने या नियुक्तियां करने का कोई प्रावधान नहीं था, न ही बिजली बोर्ड ने तब चयन समिति द्वारा भेजी गई चयनित उम्मीदवारों की सूची को मेरिट सूची माना था। वास्तव में, मेरिट सूची केवल विनियमन 15 में जगह पाती है, न कि 1939 के नियमों में। इसलिए, श्री छोटानी और श्री मुखेजा यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें श्री सहगल से पहले पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए था। मेरी यह भी राय है कि 1970 के सीडब्ल्यू 1269 में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहत की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि नियुक्तियां की गई थीं।

समग्र पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा, जिसे 1 मई, 1967 से भंग कर दिया गया था, और वर्तमान हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड उस बोर्ड का उत्तराधिकारी नहीं है। बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद, अब इसकी अनुपस्थिति में इसके आदेशों को रद्द करना संभव नहीं है।

(15) यह खेद जनक है कि हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने श्री सहगल के अभ्यावेदन पर निर्णय लेते समय ^ पी.सी. शर्मा के मामले (1968 का सी.डब्ल्यू. 1749) में मेरे फैसले को पढ़ने की परवाह नहीं की, जिन्हें चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 और 4 के साथ चुना गया था। उस मामले में, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए विनियम नहीं बल्कि 1939 के नियम लागू होते हैं और उन नियमों के अनुसार वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से होगी और नियुक्ति की तारीख का मतलब वह

तारीख है जिस दिन किसी विशेष अधिकारी ने की गई नियुक्ति के अनुसरण में अपने पद का प्रभार ग्रहण किया था। मैंने विभिन्न अधिकारियों की वरिष्ठता तय करने के आदेश को रद्द कर दिया था और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को निर्देश दिया था कि उनकी बात सुनने के बाद उनकी वरिष्ठता के मामले पर फिर से फैसला किया जाए। इस कारण से, मैं मानता हूं कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 1970 के सीडब्ल्यू 109 में याचिकाकर्ता की लागत का भुगतान करना चाहिए।

(16) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं श्री सहगल (1970 का सीडब्ल्यू नंबर 109) की रिट याचिका को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत के साथ अनुमति देता हूं और निर्देश देता हूं कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता प्रतिवादी 3 और 4 के ऊपर 1939 के नियमों के नियम 7 के अनुसार तय की जानी चाहिए। वकील की 1970 की फीस 300 रुपये, सीडब्ल्यू 1269 को खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आकाश सरोहा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा